केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is ... by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy	अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official Delivering copy

4

न्यायालय उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर।

मुकदमा नम्बर–टी2016142902116

पशुपतिनाथ स्मारक महाविद्यालय आदि	अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0
बनाम	मौजा–शेरपुर परगना–जमानियां
उत्तर प्रदेश सरकार	तहसील–मुहम्मदाबाद,गाजीपुर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद मे पशुपतिनाथ स्मारक महाविद्यालय शेरपुर कला गाजीपुर बजरिए प्रबन्धक अजयशंकर राय पुत्र स्व0 पशुपति राय निवासी ग्राम व पोस्ट–शेरपुर कला परगना–जमानियां,तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला गाजीपुर व मा निवासनी स्मारक शेरपुर कला गाजीपुर बजरिए प्रबन्धक अजय शंकर राय पुत्र स्व0 पशुपति राय निवासी ग्राम व पोस्ट–शेरपुर कला परगना–जमानिया तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर ने उत्तर प्रदेश सरकार बजरिए जिलाधिकारी गाजीपुर को पक्षकार बनाते हुए मौजा–शेरपुर परगना–जमानिया,तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर के आराजी नम्बर–2277मि. रकबा 0–3–19,2278मि. रकबा 0–8–5,2279मि.रकबा 0–16–14,2280मि0 रकबा 1–7–6, 2281 रकबा 0–3–14,2294मि. रकबा 0–9–6,2295मि. रकबा 0–7–11,2297मि0 रकबा 0–8–2 2298मि. रकबा 0–8–13,2299मि. रकबा 1–3–10,2284 मि.रकबा 0–9–15,2285मि. रकबा 1–2–7,2286मि. रकबा 0–17–7,2287मि. रकबा 0–0–6,8619मि. रकबा 0–12–6 8620मि. रकबा 0–8–19,8621मि. रकबा 0–3–10,8622मि. रकबा 1–13–6,8623मि0 रकबा 0–4–16,8624मि.रकबा 0–4–16,8625मि. रकबा 0–3–4,8626मि. रकबा 0–11–16 8627मि. रकबा 0–6–7,8629मि. रकबा 0–8–19 कुल 24 गाटा रकबा 13–2–14 पुर से 4–0–0 एव नया आराजी नम्बर–1201 रकबा 5–15–0 में से 2–0–0 व 1206 रकबा 7–7–14 मे से 2–0–0 के बावत उपरोक्त धारा के तहत इस कथन के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये है कि हम प्रार्थी निम्नलिखित भूखण्ड जरिए बैनामा प्राप्त किया है। हम प्रार्थी का क्रय शुदा भूमि पर कब्जा दखल बतौर मालिक स्वामी कायम चला आता है और आज भी है। हम प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित भूखण्ड का उपयोग अकृषिक रूप मे किया जा रहा है। निम्नलिखित भूखण्ड पर मौके पर विधालय भवन निर्मित हो चुका है जो अकृषिक रूप में है। निम्नलिखित आराजी राजस्व अभिलेखों मे अकृषिक भूमि दर्ज न होने के कारण प्रार्थी को परेशानी है। निम्न भूखण्ड को अकृषिक भूमि अंकित होना आवश्यक एव न्यायसंगत है। जिसपर ए0सी0ओ0 चकबन्दी से आख्या मांगी गई।

स0च0अ0 ने अपनी आख्या दिनांक–4–1–2016 में कहा है कि ग्राम–शेरपुर परगना–जमानियां तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर के चक संख्या–553 जो आराजी नम्बर 2277 आदि 13 बीघा दो बिस्वा चौदह धुर से नया नम्बर 1201 व 1206 निर्मित किया गया है। जिसका आकार पत्र–45 खाता संख्या–847 मे जयशंकर राय,विजयशंकर

राय,अजयशंकर राय,रामजी राय,लक्ष्मण राय पुत्रगण पशुपति राय व पशुपतिनाथ स्मारक महाविद्यालय शेरपुर कलां (गाजीपुर) प्रबन्धक अजयशंकर राय पुत्र पशुपति राय निवासी–शेरपुर कलां व मां विद्यावती स्मारक ट्रस्ट शेरपुर कलां गाजीपुर मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अजयशंकर राय पुत्र पशुपति राय निवासी–शेरपुर कलां के नाम गाटा संख्या–1201 पाच विघा पन्द्रह विश्वा व गाटा संख्या–1206 सात विघा सात विश्वा चौदह स0भू0अंकित है। जिसमें पशुपतिनाथ स्मारक महाविद्यालय शेरपुर कलां वजरिए प्रबन्धक अजयशंकर राय व मां विद्यावती स्मारक ट्रस्ट शेरपुर कलां वजरिए प्रबन्ध अजयशंकर राय पुत्र स्व0 पशुपति राय निवासी–शेरपुर कलां परगना–जमानियां तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर चार बीघा भूमि पर मुताबिक बैनामा सहखातेदार दर्ज है जिसपर महाविद्यालय बनाकर अकृषिक भूमि के रूप में स्थित है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों एवं स0च0अधि0 की आख्या दिनांक– 4–1–2016 का अवलोकन किया। जिससे यह विदित होता है कि पशुपतिनाथ स्मारक महाविद्यालय शेरपुर कलां गाजीपुर वजरिए प्रबन्धक अजयशंकर राय पुत्र स्व0 पशुपति राय निवासी–ग्राम–व पोस्ट–शेरपुर कलां परगना–जमानियां,तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर व मां विद्यावती स्मारक ट्रस्ट शेरपुर कलां गाजीपुर वजरिए प्रबन्धक अजय शंकर राय पुत्र स्व0 पशुपति राय निवासी ग्राम व पोस्ट–शेरपुर कलां परगना–जमानियां तहसील–मुहम्मदाबाद जिला–गाजीपुर द्वारा मौजा–शेरपुर परगना–जमानियां,तहसील–मुहम्मदाबाद,जिला–गाजीपुर के नया आराज़ी नम्बर–1201 रकबा 5–15–0 में से 2–0–0 व 1206 रकबा 7–7–14 में से 2–0–0 पर महाविद्यालय बनाकर अकृषिक भूमि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिसे अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा–शेरपुर परगना–जमानियां,तहसील–मु0बाद जिला–गाजीपुर के नया आराजी नम्बर–1201 रकबा 5–15–0 में से 2–0–0 व 1206 रकबा 7–7–14 में से 2–0–0 भूमि अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक– 13-1-16

उपजिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद,गाजीपुर।

Scanned with CamScanner